तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज जगमालराम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) सू.अ.अ. अपील संख्या 56/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.05.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जगमालराम पुत्र फूलाराम विश्नोई पता गांव चन्द्रनगर, तहसील लोहावट जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.02.2018 में उसके द्वारा (1) उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश कमांक/राजस्व/77/2334 दिनांक 14.11.17 से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष(उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner